भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4285

दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवाओं का उत्पादन

4285. श्रीमती संजना जाटवः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दैनिक जागरण दिल्ली समाचार में दिनांक 23.07.2024 को प्रकाशित उस समाचार की जानकारी है जिसमें उत्तराखंड में विनिर्मित पांच दवाओं के नमूने परीक्षण में विफल होने की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा केंद्रीय भेषज मानक नियंत्रण संगठन (सीएसएससीओ) के माध्यम से विभिन्न राज्यों में किन विभिन्न दवा कंपनियों की जांच की गई है;

(घ) उन दवाओं के नाम क्या हैं और उनकी निर्माता कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो नमूने की जांच में फेल पाई गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/दवा कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): विभिन्न कंपनियों की उन औषधियों की सूची, जिन्हें केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा मानक गुणवत्ता के अननुरूप/नकली, गलत ब्रांड वाली/मिलावटी घोषित किया गया है, नियमित रूप से अपलोड की जाती है तथा यह केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की वेबसाइट पर औषधि चेतावनी शीर्षक (www.cdsco.gov.in) के अंतर्गत उपलब्ध है। इन औषधि चेतावनियों में दवा का नाम, उसका बैच नंबर, विनिर्माण और समाप्ति तिथि, विनिर्माता का नाम, सीडीएससीओ लैब से एनएसक्यू परिणाम आदि के संबंध में पूरी जानकारी होती है।

दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा के संबंध में, गुणवत्ता या सुरक्षा से संबंधित मामलों की सूचना दिए जाने पर संबंधित राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा मानक गुणवत्ता के अननुरूप(एनएसक्यू)/नकली/गलत ब्रांड वाली/मिलावटी दवाओं के विनिर्माताओं/उत्पादकों के विरुद्ध औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके नियमों के प्रावधानों के अनुसार समुचित न्यायालय में अभियोजन सहित कार्रवाई की जाती है।

इसके अतिरिक्त, देश में दवा विनिर्माण परिसर के विनियामक अनुपालन का आकलन करने के लिए, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने राज्य औषधि नियंत्रकों (एसडीसी) के साथ दिसम्बर, 2022 से दवा विनिर्माण फर्मों का जोखिम-आधारित निरीक्षण करना शुरू किया था। अभी तक 500 से अधिक परिसरों का जोखिम-आधारित निरीक्षण किया जा चुका है। दवा विनिर्माण फर्मों की पहचान जोखिम मानदंडों जैसे मानक गुणवत्ता के अननुरूप दवाओं की संख्या, शिकायतों, उत्पादों की महत्वपूर्णता आदि के आधार पर की गई है। निरीक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर, राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार 400 से अधिक कार्रवाइयां जैसे कारण बताओ नोटिस जारी करना, उत्पादन रोकने का आदेश, निलंबन, लाइसेंस/उत्पाद लाइसेंसों को रद्द करना आदि की गई हैं।

*****